17.6.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 4) प्रभुदयााल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जााति खाती निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत न कर प्रार्थना पत्र अ.आ. 7 नियम 11 व्य.प्र.सं. इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी द्वारा सहमति व विनिमय के आधार पर काश्त की सुविधा के लिए चक 13 एमकेएस के मु.न. 69 के किला नं. 03 में अपनी मु.न 59 के किला नं. 9 में 2 बिस्वा कृषि भूमि दे दी जो राजस्व अभिलेख में गलत अंकन हो जाने के कारण वादी के विधिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें वादी द्वारा किसी राजस्व अभिलेख की त्रुटि के सन्दर्भ में कथन किये है जबकि सही स्थिति अनुसार वादी इस वाद के माध्यम से विनिमय पत्र में संशोधन चाहता है विधि अनुसार विनिमय पत्र में संशोधन केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही किये जा सकते है। राजस्व न्यायालय को किसी दस्तावेज में संशोधन की अधिकारिता नही है राजस्व अभिलेख में जो प्रविष्टी हुई वह पंजीकृत विनिमय पत्र के माध्यम से हुई है ऐसी स्थिति में वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष बहस प्रार्थना पत्र अ.आ.7 नियम 11 सीपीसी पर सुनी गई। बहस तथ्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूकि वादी मोहन लाल पुत्र पूर्णराम के द्वारा प्रकरण संख्या 45/2007 मोहन लाल बनाम बृजलाल वगैरा में दिनांक 31.08.2007 को पारित आदेश में रास्ता भूमि की एवज में स्टाम्प ड्यूटी शर्त पर बृजलाल, खेताराम, व महेन्द्र

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

कुसुम्ह का खाता नं० [illegible] के द्वारा मौजा
[illegible] में दर्ज 179/202 के मुरत 30 के किता
? 8 की 2 किता भूमि का विनिमय किया गया है।
जिसका नामान्तरण राजस्व अभिलेख हो चुका है तथा
वादी ने उक्त आदेश पर पूर्व में कभी कोई आपत्ति भी
नहीं की गई है। इसलिए प्रस्तुत वाद में कोई वाद हेतुक
उत्पन्न नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र क-आ 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार
किया जाकर वादी वाद खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसला मुताबिक नम्बर से दर्ज होकर दाखिल
दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

[illegible]